न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 78/2015/टीए

नाराणी पुत्री भागु गुर्जर
निवासी सहनवा हाल निवासी सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
–अपीलान्ट

बनाम

1. सुन्दर बेवा शम्भु गुर्जर
   निवासी हाल सेंती चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. नाराण उर्फ नारायण पिता भागुजी गुर्जर
   निवासी सेंती चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. रेखा पुत्री हीरालाल कुमावत
   निवासी चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय आदेश उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 19.11.2015 प्रकरण सं. 275/2015

उपस्थित – 1. श्री के0जी0 व्यास – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बंशीलाल गर्ग – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1
3. श्री नरेश शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–3

निर्णय दिनांक– 09.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट/वादिया ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय मे खातेदारी की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा कृषि भूमि ग्राम सेंती चित्तौडगढ़ की नवीन आराजी नम्बर 133,170,195,196 कुल रकबा 1.20 है0 की 1/4 हिस्से कृषि भूमि की विरासत से खातेदार घोषित होने का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय मे दर्ज होकर विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त वाद के साथ पृथक से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 12 जा.दी. विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर अभिवचन अंकित किया कि ग्राम चित्तौडगढ की उक्त कृषि भूमि वादिया के पिता भागु पिता बेणा गुर्जर के नाम से दर्ज चली आ रही थी और भागु की मृत्यु दिनांक 10/05/1996 को निर्वसीयत हो जाने से विरासत से

उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के चार खातेदार बने है जिसमे एक एक भागु की पत्नि मु. कनी देवी तथा पुत्र नाराण उर्फ नारायण तथा पुत्र शम्भु तथा शम्भु की मृत्यु के बाद सुन्दर देवी तथा वादिया पुत्री नाराणी प्रत्येक का उक्त वादग्रस्त भूमि मे 1/4, 1/4 हक हिस्सा बना है और इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर प्रार्थिया खेती कर रही है किन्तु राजस्व कर्मचारियो से मिलकर वादिया/प्रार्थिया का नाम नामान्तकरण मे अंकित नही करवाया जिस पर प्रार्थिया ने उक्त वाद खातेदार की घोषणा का प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलान्ट /प्रार्थिया के विरासत से दर्ज 1/4 हिस्से की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मे विपक्षीगण कोई दखलंदाजी नही करे, भूमि को खुर्द–बुर्द नही करे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र दिनांक 4/11/2015 को विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर प्रकरण मे आगामी सुनवाई की तारीख पेशी 22/12/2015 नियत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण मे 10/11/2015 को प्रोसेडिंग अंकित कर दिनांक 19/11/2015 को प्रार्थिया की जानकारी के बगैर एक तरफा मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को विधि विरूद्ध रूप से निरस्त कर दिया जिससे अंसतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मामले मे वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट/प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि प्रमाणित हेाते हुए भी तथा अपीलान्ट का विरासत से 1/4 हिस्सा खातेदारी का निहित होते हुए भी प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने मे विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णित मे यह अंकित किया कि वादिया के पिता की मृत्यु वर्ष 2005 से पूर्व हुई है इसलिये वादिया का सम्पत्ति जायदाद मे कोई हिस्सा नही है जबकि ऐसा कोई कानून हिन्दू उत्तराधिकार कानून मे नही है न ही ऐसी कोई नजीर मे कोई सिद्वान्त प्रतिपादित किया कि पिता की मृत्यु 2005 से पूर्वै हुई हो तो उसकी जायन्दा लडकी को उसकी जायदाद मे कोई हिस्सा नही मिलेगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 मे दिनांक 09/09/2005 को यह संशोधन किया गया कि पैतृक जायदाद मे पुत्रियो को भी जन्म लेते ही पुत्र की भांति बराबर हिस्सा पिता के साथ प्राप्त होगा। यहां अपीलान्ट की विधिक स्थिति इस भांति है कि अपीलान्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 10/5/1996 को

निर्वसीयत हुई है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट के पिता की निर्वसीयत मृत्यु होते ही विरासत से वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार उसकी पत्नि तथा दोनो पुत्र व अपीलान्ट पुत्री बराबर–बराबर 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार बने। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति की सही विवेचना नही की है और अपीलान्ट का प्रार्थना पवत्र खारीज मे विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ का निर्णय आदेश दिनांक 19/11/2015 प्रकरण संख्या 275/2015 नाराणी बनाम सुन्दर निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम सेंती चित्तौडगढ की नवीन आराजी नम्बर 133,170,195,196, कुल रकबा 1.20 है0 को विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया अपीलान्ट के 1/4 हिस्से खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि को किसी भांति रहन बह अंतरित नही करे तथा अपीलान्ट को शांतिपूर्वक कब्जे उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि मूलवाद अभी भी घोषणात्मक डिक्री हेतु उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय मे विचाराधीन है जिसका नम्बर 104/2016 है तथा अनवान नाराणी बनाम सुन्दर है। राजस्व ग्राम सेंती के खसरा नम्बर 133, 170, 195 तथा 196 है कुल किता 4 कुल रकबा 1.20 है0 भूमि अपीलान्ट के पिता भागु के समय से चली आ रही है इनके दो पुत्र, एक पुत्री तथा पत्नि है इस प्रकार कुल 4 वारिस है, भागु की मृत्यु हो चुकी है। फलस्वरूप प्रत्येक वारिस के नाम 1/4 हिस्सा आ गया है, परन्तु आज तक नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है। इस सम्बन्ध मे उन्होने 2016(2) आरएलडब्ल्यु 1337 की नजीर पेश करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विधिविरूद्ध निर्णित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस अपील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार नही है तथा न ही मौके पर काबिज है। ऐसी सूरत मे प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनो ही कारक उनके हक मे नही है। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारीज किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही हुई है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य निर्विवादित है कि न तो प्रार्थिया/अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार है तथा धारा 212 आरटीएक्ट के तीनो कारको की पूर्ति उनके द्वारा की जा रही है। ऐसी सूरत मे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के हक मे नही बनता है। जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है, वह भी प्रार्थिया सिद्ध नही कर पाई है। इसके अतिरिक्त उन्हे वर्तमान परिस्थिति मे किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की भी संभावना भी नही है। ऐसी सूरत मे यह अपील सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 275/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 19/11/2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़